संख्या:01/2021/07 ई-2/तेरह-2021-309/94

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 4 जनवरी, 2021

विषय: मेसर्स राजश्री फाइन केमिकल्स इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा. लि., ग्राम सालपुर नवदिया, कटरा, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में 160 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन/शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-57/दो-प्रा.डी.-216/राजश्री, दिनांक 19.11.2020 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.12.2020 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2864 ई-2/तेरह-2020-309/94, दिनांक 29.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स राजश्री फाइन केमिकल्स इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा. लि., ग्राम सालपुर नवदिया, कटरा, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर द्वारा 160 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की आसवनी जिसमें 280 लाख लीटर ग्रेन से ई.एन.ए. एवं 280 लाख लीटर शीरे से रेक्टिफाइड स्प्रिट, ई.एन.ए./अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस.डी.एस. का उत्पादन किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी द्वारा ग्रेन ई.एन.ए. की बिक्री केवल पेय मदिरा निर्माण हेतु किया जायेगा तथा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in